

सम-73 2.44 A
चैक-लिस्ट प्रमाण-पत्र

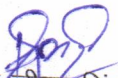
02

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोडा में गगास-उडीमहादेव-सैलापानी-भिक्यारसैण
मरचूला मोटर मार्ग का नवनिर्माण। लंबाई - 40.000 किमी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु वांछित आरक्षित भूमि
जिसका क्षेत्रफल कुल 131842 हैक्टेयर हैं। वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव में चैक लिस्ट
के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न किये गये हैं।



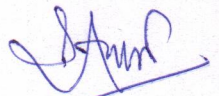
(प्रेमपाल सिंह)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत



(जग/जीवन सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत



(अशोक कुमार)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत



(के0 एस0 असवाल)
अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में गगास-उड़ीमहादेव-सैलापानी-भिकियासैन -मरचूला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

- 2- प्रभावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हे. में) -
 आंशिक वनभूमि - शून्य
 सिविल एवं सोयम वनभूमि - 10.472
 वन पंचायत वनभूमि - 3.430 } 13.842
 निजी भूमि - 18.202 है०
- 3- प्रस्तावित विभाग का नाम - प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- 4- वन प्रभाग का नाम - अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
- 5- प्रस्ताव बांझड़िंग किया गया है - हाँ / नहीं
- 6- प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - हाँ / नहीं
- 7- क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है - हाँ / नहीं
- 8- क्या प्रारूप में बांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है - हाँ / नहीं
- 9- प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 10- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 11- बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है - बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं। ~~बांज वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।~~ हाँ / नहीं
- 12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है - हाँ / नहीं
- 13- समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
- 14- क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है - हाँ / नहीं
- 15- क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 16- क्या मानचित्र में क्षतिपूरक स्थल को दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 17- प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है - हाँ / नहीं
- 18- क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है - हाँ / नहीं
- 19- प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है - हाँ / नहीं
- यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं

कमरा: ऐज 2 पर

- 20- क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है - हाँ / नहीं
- 21- प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है -
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें) हाँ / नहीं
- 22- क्या मानचित्र में प्रभावित प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / नहीं
- 23- यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 24- क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ / नहीं
- 25- यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय। हाँ / नहीं
- 26- सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं - हाँ / नहीं
- 27- वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) हाँ / नहीं
- 28- लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है. से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हाँ / नहीं
- 29- मानचित्र व बार चार्ट में एकरूपता है - हाँ / नहीं
- 30- मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है -
अथवा
मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 31- राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 32- क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं
यदि छायाप्रतियां संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं - हाँ / नहीं
- 33- यदि वनभूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 34- वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है - हाँ / नहीं
- 35- क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हाँ / नहीं
- 36- क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं - हाँ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गई हैं।

अधिसूचना अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

2. 44D

वड

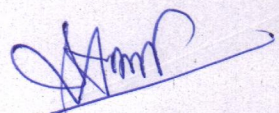
प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में गगास-उडीमहादेव-सेलापानी-भिक्यासैन-मरचूला
मोटर मार्ग के नव निर्माण।

(किमी 40.000)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग से उत्पादित मलवा निस्तारण स्थलों में
वनीकरण पुर्नवास हेतु वनीकरण/अभियांत्रिक कार्यों की योजना का व्यय की धनराशि याचक
विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

2044E

96

स्थल विशिष्ट का न होने का प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में गगास-उडीमहादेव-सैलापानी-भिक्यारैण मरचूला मोटर मार्ग का नवनिर्माण।

लंबाई - 40.000 किमी.

प्रमाणित किया जाता है प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट ~~नहीं~~ है।

(प्रेमपाल सिंह)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(जगजीवन सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(अशोक कुमार चौधरी)
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(के0 एस0 असवाल)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

राजस्व विभाग प्रतिनिधि

वन विभाग प्रतिनिधि

तहसीलदार भिक्यारैण
चिवा प्रखण्ड

उपजिलाधिकारी,
भिक्यारैण (उत्तराखण्ड)

प्रतिहस्ताक्षरित

राजि वनाधिकारी,
होरावा वन क्षेत्र (बल्मोड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
होरावा वन क्षेत्र

जिला अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

4/2/18

4/2/18

विभागीय अधिकारी
अल्मोड़ा।

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी
बल्मोड़ा वनप्रभाग अल्मोड़ा

2044 F

97

पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में प्रमाण पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोडा में गगास-उडीमहादेव-सैलापानी-भिक्यासैण मरचूला मोटर मार्ग का नवनिर्माण।

लंबाई - 40.000 किमी.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता हुई तो प्रयोक्ता एंजेसी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त कर प्रस्तुत की जायेगी।

पर्यावरण स्वीकृति

(B)
(प्रेमपाल सिंह)
अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(जगजीवन सिंह)
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(अशोक कुमार चौधरी)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

(के0 एस0 असवाल)
अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

2.44 g

98

प्रमाण-पत्र (तुलनात्मक विवरण)

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में गगास-उडीमहादेव-सेलापानी-भिक्यासैन-मरचूला
मोटर मार्ग के नव निर्माण।

(किमी 40.000)

1. प्रथम संरेखण	2. द्वितीय संरेखण
न्यूनतम वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा ग्रामवासियों की मांग इसी समरेखण पर ही की जा रही है।	अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं तथा बांज वृक्ष के घने वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं ग्रामवासियों को इस समरेखण पर आपत्ति की जा रही है।

36

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

प्रभावी बसाधिकारी
अल्मोड़ा जल प्रभाग अल्मोड़ा

2.44M

99

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में गगास-उणी महादेव-सेलापानी-भिकियासैण-मरचूला मोटर मार्ग (40. किमी०) 17.797 है० ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों की गिनती 7.00 मी० चौड़ाई के अनुसार की गयी है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।

अभि

सहायक अभियन्ता (ग्रह),
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रानीखेत।

अभिशासी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रानीखेत।

अभि

लखनऊ

2.44 I

64

राजस्व विभाग का प्रमाण पत्र / वर्तमान बाजार भाव
का मूल्य पत्र

कार्य का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में गगास-उडीमहादेव-सैलापानी-भिक्यासैण मरचूला मोटर मार्ग का नवनिर्माण।

लंबाई - 40.000 किमी.

प्रमाणित किया जाता है उक्त परियोजना में प्रभावित, आरक्षित वन भूमि को हस्तान्तरण करने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त योजना के निर्माण में प्रभावित 13.842 हैक्टेयर कुल आरक्षित वन भूमि का बाजार भाव मूल्य रु. 5,20,000.00 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से रु. 7197640 लाख है। प्रीमियम 10 प्रतिशत रु. 7197640 लाख प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है।

तहसीलदार भिक्यासैण
जिला अल्मोड़ा

उपजिलाधिकारी;
भिक्यासैण (उत्तराखण्ड)

जिलाधिकारी

बटवाल
बागीचार

वैद्य

जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

Sum
420129